बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसं0–9 / आ0–08–27 / 2024(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

डॉ० रामाधार सिह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिषी, सहरसा के विरूद्ध श्रीमती कंचन देवी (प्रसुती) का दिनाक–15.06.2024 को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण असामयिक मृत्यु होने एव ईलाज करने के लिए परीजन से राशि 5000/–रु० प्राप्त करने के आरोप में विभागीय सकल्प स०–101(9) दिनाक–29.01.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। सचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) मे आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय पत्राक–870(9) दिनांक–29.07.2025 द्वारा संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) के आलोक मे सिविल सर्जन, सहरसा से प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके अनुपालन में सिविल सर्जन, सहरसा के पत्राक–3301 दिनाक–03.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ० सिंह नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दिनांक–11.06.2024 को BMSICL, Patna के बैठक में गए थे। उनका दिनांक–13.06.2024 से 15.06.2024 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त सचालन पदाधिकारी के जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) के निष्कर्ष मे आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने एवं सिविल सर्जन, सहरसा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए डॉ० सिंह को आरोप से मुक्त किये जाने का विनिश्चय किया गया।

4. अतः डॉ० रामाधार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिषी, सहरसा को आरोप से मुक्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9 / आ०–08–27 / 2024(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9 / आ०–08–27 / 2024(स्वा0) 391(9) / पटना, दिनांकः– 09.04.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा / सिविल सर्जन, सहरसा / कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० रामाधार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महिषी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/04/2026

सरकार के अवर सचिव।